

उत्तर प्रदेश शासन  
समग्र ग्राम विकास अनुभाग  
संख्या-608/66-2016  
लखनऊ : दिनांक : 16 सितम्बर, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

भारत सरकार द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना (एस0ए0जी0वाई0) लागू की गई है। प्रदेश स्तर पर इस योजना का क्रियान्वयन समग्र ग्राम विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु शासन स्तर पर श्री रमाकान्त सिंह, संयुक्त सचिव, समग्र ग्राम विकास विभाग को कार्यालय ज्ञाप सं0-122/66-16 दिनांक 19 फरवरी, 2016 द्वारा नोडल अधिकारी नामित किया गया था, जिनका स्थानान्तरण हो जाने के फलस्वरूप इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु श्री राम केवल, विशेष सचिव, समग्र ग्राम विकास विभाग को एतद्वारा नोडल अधिकारी नामित किया जाता है, जिनका विवरण निम्नवत् है:-


अधिकारी का नाम व पदनाम	कार्यालय का पता / दूरभाष व मोबाइल नम्बर
श्री राम केवल, विशेष सचिव, समग्र ग्राम विकास विभाग।	कक्ष सं0-13, भूतल, बहुखण्डी भवन, उ0प्र0 सचिवालय, लखनऊ दूरभाष: 0522-2238030, मोबाइल : 9411006000

नवतेज सिंह  
प्रमुख सचिव

संख्या-608 (1)/66-16 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली-110114 को समग्र ग्राम विकास विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-122/66-16 दिनांक 19 फरवरी, 2016 के क्रम में सूचनार्थ।
2. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. निदेशक, समग्र ग्राम विकास सेल, लखनऊ।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. सम्बन्धित नोडल अधिकारी।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,  
  
(पवित्र कुमार)  
अनुसचिव।